न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 42/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.08.2021
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/127

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मंगाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा
2. दुर्गाराम पुत्र श्री मंगाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा
3. मलाराम पुत्र श्री मंगाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा
4. मांगीलाल पुत्र श्री मंगाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा, तहसील— रायपुर,

वादीगण

बनाम

1. देवाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा,
2. पुखाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा,
3. बाबूलाल पुत्र श्री करमीराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा,
4. मंगलाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा,
5. रूपाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र—व्यस्क, जाति—सिरवी, निवासी—कुशालपुरा, तहसील— रायपुर
6. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ' 92 व 188 राज. काश्त. अधि.

1 श्री जसवंत सिंह सांखला एवं किशोर कुमावत अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता उपस्थित

निर्णय दिनांकः **11.12.2024**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92,188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कुशालपुरा, पटवार हल्का कुशालपरा, भू अभिलेख निरीक्षक पिपलियाकलां के खसरा नम्बर 16 रकबा 6.4750 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2075— 2078 कि प्रमाणित प्रति राजस्व नक्शे कि ईमित्र से प्राप्त प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढ़ा जावें। उपरोक्त विवादित भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी है एवं पुर्वजो के समय से उनके मध्य मौखिक रूप से मौके पर बटॅवाडा हो रखा था जिस अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण के पिता के फौत होने से लेकर आज दिन तक एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने—अपने हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त करते आ रहे है वादीगण ने विवादित भुमि मे अपने हिस्से प्रत्येक वादीगण का 1/6 अर्थात वादीगण का सम्पुर्ण भुमि मे 2/3 भुमि बनती है एवं प्रत्येक प्रतिवादीगण का 1/15 हिस्सा बनता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भुमि पर रूप्ये लगाकर उपजाउ बनाया है एवं खाद डालकर उपजाउ बनाया है, एवं पुर्वजो के समय मौखिक बटॅवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे एक खाते के रुप मे एवं राजस्व नक्शे मे एक जोत मे दर्ज इन्द्राज है जिस कारण वादीगण को सरकारी सहायता ऋण लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है जिस कारण वादीगण ने अपने 2/3 हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 5 के हिस्से की भूमि से अलग बंट करवाना चाहते है, क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण की भुमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं वादीगण का प्रतिवादीगण से अन्य प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भुमि मे आने जाने पर आये दिन झगडा फसाद होता रहता है। इसलिए वादीगण विवादित भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार एवं मौखिक बॅटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बॅटवाडा करवाना चाहते हैं। उक्त विवादित आराजियात मे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा नहीं हाने के कारण भुमि मे आने जाने के लिए आये दिन झगडा फसाद होते है,। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 5 के बिच पुर्व मे

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मौके पर बन्टवारा हो रखा था परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के मध्य आये दिन माट को लेकर विवाद होता रहता है एवं एक दुसरे की खातेदारी भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है, जो कानुनन अपराध है जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्सा पर से बेदखल किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, अतः राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाकर जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज रेकर्ड हिस्सा अनुसार अलग खसरा नं. लगाकर अंकन किया जावें। राजस्व नक्शे मे भी अलग अलग इन्द्राज किया जावे एवं लगान भी बाटॉ जावे । जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद समाप्त हो जाये एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से कि भुमि को उपजाउ बना सके। राजस्व रेकर्ड मे विवादित भुमि सामलाती होने के कारण प्रतिवादीगण एंव वादीगण के मध्य माठ को लेकर विवाद होने से दिनॉक 23/07/2021 को वादीगण की भुमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा करने की कोशिश कि एवं वादीगण को विवादित भुमि से बेदखल कर अपना हक अधिकार जमाना चाहा जब वादीगण को जानकारी हुई एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि आप मेरी भुमि पर कब्जा क्यो कर रहे है मैने बडी मुसीबत से एवं लाखो रुपये खर्च कर व खाद डाल मेहनत कर इसे उपजाउ बनाया है। तब प्रतिवादीगण ने वादीगण को बॅटवाडा करने से मना की दिया। वादीगण के बार बार अपना हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण उसका हक हिस्सा नहीं देना चाहते एवं न ही राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करना चाहते है वादीगण के बन्टॅवाडा करने के निवेदन से प्रतिवादीगण ने बन्टवारा करने से मना देने के कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ। वादीगण ने प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बन्टवारा करवाने को कहा तब प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि उपरोक्त वर्णीत विवादीत आराजियात मे पुरा का पुरा हिस्सा हमारा हैं तुम यहां कुछ नही मागते हो, हमं पुरे खसरे को किसी अजनबी को बेचान कर देंगे, जबकि प्रतिवादीगण को बिना बटॅवाडा किये ऐसा करने का कानूनी हक अधिकार नहीं हैं। वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाया जावें एवं वादीगण को मौके पर पथ्थर गढी, मेखम बंदी करवाई जावे तथा खसरा व खाता अलग निर्धारण कर लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें।प्रत्येक वादीगण का 1/6 हिस्सा के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपनी भुमि मे लाखों रूप्ये लगाकर उपलाउ बनाया हे अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के हिस्से के किसी भू भाग को अपनी जमीन मे मिला देते है या बेचान कर देता हैं तो वादीगण को अपनें हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं हैं।उक्त प्रकरण प्रतिवादीगण संख्या 6 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा वाद एक आवश्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी.का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण इस आशय से सादिर फरमावे की सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान् 16 रकबा 6.4750 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम मे प्रत्येक वादीगण का 1/6 वा हिस्सा तथा प्रत्येक प्रतिवादीगण का 1/15 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। विवादित भुमि वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भुमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर सामलाती खाता अलग अलग किया जावें व नामान्तरण अलग अलग भरा जाकर जमाबन्दी अलग की जावें लगान को बाटा जावे व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेखेम बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें, तथा वादी को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार फरमाया जावे राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन की जावे।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सैन ने वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या 01 व 04 की ओर से वादपत्र पर अपना जबाव प्रस्तुत किया, जो सा.मि. किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 द्वारा प्रस्तुत जबाव में वादपत्र पर अंकित सभी कथनो को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता,संख्या 02,03,05 वादपत्र पर जबाव नहीं देना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील वादी प्रतिवादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/1580 दिनांक 13.12.2023 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर कुमावत वगैरह ने भी वकालतनामा पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश वंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर वहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश वंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश वंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा के खसरा नम्बर 16 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। जो निम्न हैं:—

क स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है)	किस्म
1	मंगलाराम, रूपाराम, देवाराम, पुखाराम, बाबूलाल पि. करमीराम 1/3 मांगीलाल, दुर्गाराम, मलाराम, ओगडराम, पि. मंगाराम 2/3 सा. देह जाति सीरवी खातेदार	16/11	0.1330	चा.सो.
2	मंगलाराम, रूपाराम, देवाराम, पुखाराम, बाबूलाल पि. करमीराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/3 16/8	2.0843 0.0297	चा.सो. चा.सो.
3	मांगीलाल, दुर्गाराम, मलाराम, ओगडराम, पि. मंगाराम 2/3 सा. देह जाति सीरवी खातेदार	16/9	0.0150	चा.सो.
4	दुर्गाराम, ओगड़राम पि. मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/15	0.0893	चा.सो.
5	मांगीलाल, मलाराम पि. मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/10	0.0893	चा.सो.
6	मांगीलाल पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/5 16/12	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.
7	दुर्गाराम पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/6 16/14	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.
8	मलाराम पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/4 16/13	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.
9	ओगडराम पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/7 16/16	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री बमुकदमें इबतदाई

ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम – रायपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

1. ओगडराम पुत्र श्री मंगाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा
2. दुर्गाराम पुत्र श्री मंगाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा
3. मलाराम पुत्र श्री मंगाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा
4. मांगीलाल पुत्र श्री मंगाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा, तहसील– रायपुर,

वादीगण

बनाम

1. देवाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा,
2. पुखाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा,
3. बाबूलाल पुत्र श्री करमीराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा,
4. मंगलाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा,
5. रूपाराम पुत्र श्री करमीराम, उम्र–व्यस्क, जाति–सिरवी, निवासी–कुशालपुरा, तहसील– रायपुर
6. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 '92 व 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवन्तसिंह सांखला एवं श्री किशोर कुमावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में उक्त वादपत्र में सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा के खसरा नम्बर 16 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। जो निम्न हैः–

क स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है)	किस्म
1	मंगलाराम, रूपाराम, देवाराम, पुखाराम, बाबूलाल पि. करमीराम 1/3 मांगीलाल, दुर्गाराम, मलाराम, ओगडराम, पि. मंगाराम 2/3 सा. देह जाति सीरवी खातेदार	16/11	0.1330	चा.सो.
2	मंगलाराम, रूपाराम, देवाराम, पुखाराम, बाबूलाल पि. करमीराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/3 16/8	2.0843 0.0297	चा.सो. चा.सो.
3	मांगीलाल, दुर्गाराम, मलाराम, ओगडराम, पि. मंगाराम 2/3 सा. देह जाति सीरवी खातेदार	16/9	0.0150	चा.सो.
4	दुर्गाराम, ओगड़राम पि. मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/15	0.0893	चा.सो.
5	मांगीलाल, मलाराम पि. मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/10	0.0893	चा.सो.
6	मांगीलाल पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/5 16/12	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.
7	दुर्गाराम पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/6 16/14	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.
8	मलाराम पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/4 16/13	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.
9	ओगडराम पुत्र मंगाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार	16/7 16/16	0.5734 0.4352	चा.सो. चा.सो.

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×.......... फीस सदी सालाना आज नीज....................×..............मुबलिक..............×............बाबत्...........×.......... को अदा करे।

तारीख वसूल याबी तक ....×.......................

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2024 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा —	06	00	स्टाम्प वकालतनामा —	04	00
स्टाम्प वकालतनामा —	02	00	स्टाम्प हाजरी —		
स्टाम्प वजह सबूत —	00	00	मेहनताना वकील पर —		
मेहनताना वकील —			खर्चा गवाहान —		
खर्चा गवाहान —			फीस कमिश्नर —		
फीस कमिश्नर —			बाबत इजराय हुक्मनामा —		
बाबत इजराय हुक्मनामा —			मुतफरिक —	0	00
मुतफरिक —		00	मीजान	04	00
मीजान	08	00			

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)